

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लमटेड  
सीआईएन: एल 65910डीएल 1986 जीओआई 024862  
ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001, भारत  
टेलीफोन-: +91 11 23456000, फैक्स: +91 11 23412545, ईमेल: [investorsgrievance@pfcindia.com](mailto:investorsgrievance@pfcindia.com)  
वेबसाइट: [www.pfcindia.com](http://www.pfcindia.com)

### सूचना

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित व्यवसाय संव्यवहार के लिए पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लमटेड के सदस्यों की बतीसवीं वार्षिक आम सभा का आयोजन मंगलवार, दिनांक 11 सितम्बर, सितम्बर, 2018 को प्रातः 10.30 बजे तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली 110004 में किया जाएगा:-

#### साधारण संव्यवहार

1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय ववरणों, लेखा परीक्षित ववरणों सहित उसमें शामिल कंपनी के निदेशक मंडल तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें प्राप्त करना, वचार करना एवं अंगीकार करना।
2. वित्तीय वर्ष 2017-18 के कुल लाभांश के रूप में अंतरिम लाभांश की पुष्टि करना।
3. रोटेशन में सेवानिवृत्त हो रहे तथा पुनर्नियुक्ति के पात्र एवं पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले श्री चन्मय गंगोपाध्याय (डीआईएन:02271398) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।
4. सांघक लेखा परीक्षकों के लिए पारिश्रमक निर्धारित करना।

#### वशेष संव्यवहार

5. श्रीमती गौरी चौधरी, 76 वर्ष (डीआईएन: 07970522), की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति तथा इस संबंध में वचार एवं योग्य पाए जाने की स्थिति में वशेष संकल्प के तौर पर निम्नलखत संकल्प संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन (संशोधनों) पारित करना :

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 149, 142 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अनुसरण में श्रीमती गौरी चौधरी, 76 वर्ष (डीआईएन: 07970522), जिन्हें वद्युत मंत्रालय के दिनांक 22 सितम्बर, 2017 के पत्र संख्या 20/8/2016-समन्वय (खंड-11) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था, तथा तदनंतर कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अनुसरण में उन्हें निदेशक मंडल द्वारा इस वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि तक के लिए 3 नवंबर, 2017 से अपर निदेशक नियुक्त किया गया था तथा कंपनी द्वारा श्रीमती गौरी चौधरी से लखत में कंपनी में निदेशक के पद की अपनी उम्मीदवारी के ववरण के साथ नोटिस प्राप्त किया गया है, अतः अब उन्हें एतद्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों पर कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है।”

6. भारत में तथा / अथवा भारत से बाहर निजी प्रतिस्थापन आधार पर ₹65,000 तक निधि जुटाने के लिए बॉण्ड/डिबेंचर/ऋण प्रतिभूतियां जारी करना तथा इसके संबंध में वचार करना तथा उचित पाए जाने की स्थिति में वशेष संकल्प के तौर पर निम्नलखत संकल्प संशोधन अथवा बिना संशोधन (संशोधनों) के साथ पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी (प्रतिभूतियों का ववरण एवं आबंटन) नियमावली 2014 के नियम 14(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसरण में एतद्वारा प्रतिभूत/अप्रतिभूत, वमोचन योग्य, अपरिवर्तनीय, कर योग्य / कर मुक्त, सीनियर / सबऑर्डिनेटिड बॉण्ड्स / डिबेंचर्स / नोट्स / ऋण प्रतिभूतियों का चालू वार्षिक आम बैठक की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर भारत तथा / अथवा भारत के बाहर निजी प्रतिस्थापन के माध्यम से ₹65,000 करोड़ तक की निधियां जुटाने का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।”

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी का निदेशक मंडल (निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कसी प्राधिकारी द्वारा वधवत गठित अन्य कसी समिति सहित) एतद्वारा एतद्वारा चालू वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि से एक वर्ष की अवधि में भारत तथा / अथवा भारत के बाहर निजी प्रतिस्थापन के माध्यम से ₹65,000 करोड़ तक की निधियां जुटाने जुटाने के लिए प्रतिभूत/अप्रतिभूत, वमोचन योग्य, अपरिवर्तनीय, कर योग्य / कर मुक्त, सीनियर / सबऑर्डिनेटिड बॉण्ड्स / डिबेंचर्स / नोट्स / ऋण प्रतिभूतियों (“बॉण्ड्स”) में अंशदान करने करने के प्रस्ताव (प्रस्तावों) अथवा आमंत्रण (आमंत्रणों) को जारी के लिए प्राधिकृत है तथा एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है तथा उसे बॉण्ड्स जारी करने के संबंध में आवश्यक समझे गए सभी

सभी कृत्य, क्रयां एवं कार्य करने का प्राधिकार होगा जिसमें अन्यों के साथ साथ अंकत मूल्य, इश्यू आकार, समय, राश, सुरक्षा, कूपन ऋयाज दर, प्रतिफल, लस्टिंग, आबंटन तथा बॉण्डस के के इश्यू की अन्य नियम एवं शर्तें ववेकानुसार आवश्यक समझे गए कार्य भी शामिल होंगे।”

“आगे यह संकल्प कया जाता है क कंपनी का निदेशक मंडल (निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कसी प्राधिकारी द्वारा वधवत गठित अन्य कसी समति सहित) एतद्वारा एतद्वारा उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लए आवश्यक समझे गए ऐसे सभी कृत्य, क्रयां तथा कार्य करने के लए प्राधिकृत है तथा एतद्वारा प्राधिकृत कया जाता है।”

7. पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड (अंतरणकर्ता कंपनी) का समामेलन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी) तथा कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 230-232, जो उसके अध्याधीन निर्मत नियमों एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 जून, 2017 की अधसूचना संख्या जी.एस.आर. 582 (ई) के साथ पठनीय है, के अंतर्गत उनके संबद्ध शेयरधारकों एवं ऋणदाताओं में कए जाने की योजना व्यवस्था का अनुमोदन करना तथा इस संबंध में वचार करके उचत समझे जाने पर वशेष संकल्प के रूप में निम्नलखत संकल्प संशोधन अथवा बिना संशोधन (संशोधनों) के साथ पारित करना :

“यह संकल्प कया जाता है क कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 13 जून, 2017 की अधसूचना संख्या जीएसआर 582(ई) के साथ पठित कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 230-232 के प्रावधानों एवं अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों, परिपत्रों तथा अधसूचनाओं (कसी सांवधक संशोधन अथवा पुनः व्यवस्थापन सहित), जैसा भी लागू हो तथा कंपनी कंपनी के संगम ज्ञापन तथा कंपनी के संगम अनुच्छेद के प्रावधानों की शर्त पर तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथावश्यक अन्य शर्तों और आशोधनों पर तथा सहमतियां, अनुमोदनों, अनुमतियों, जो कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) को स्वीकृत हों, को प्रदान करते समय कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित तथा प्रत्यारोपत, जिसके अर्थ में निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल द्वारा इस संकल्प में प्रदत्त की गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों के उपयोग के लए नामत कसी व्यक्ति द्वारा गठित अथवा गठित की जाने वाली एक अथवा अधक समति (समतियां) भी शामिल मानी जाएंगी, की सहमति होने पर पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड (अंतरणकर्ता कंपनी) का समामेलन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी) तथा उसके संबद्ध शेयरधारकों एवं ऋणदाताओं के साथ कए जाने की व्यवस्था योजना की व्यवस्था का स्वरूप इस बैठक में प्रस्तुत कया गया तथा उसपर समति के अध्यक्ष अध्याक्ष द्वारा अभनिर्धारण के उद्देश्य से हस्ताक्षर कए गए, जिसे एतद्वारा अनुमोदित कया गया है।”

“आगे यह संकल्प कया जाता है क निदेशक मंडल ऐसे सभी कृत्य, क्रयां, मामले तथा कार्य, जिस प्रकार के हों, उक्त संकल्प को प्रभाव देने तथा योजना में निहित व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन के लए तथा ऐसे बदलाव, संशोधन, परिसीमा तथा / अथवा स्थितियां, यदि कोई हों, जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा योजना की व्यवस्था के स्वरूप का अनुमोदन दिए जाने के दौरान अथवा कसी अन्य प्राधिकरण द्वारा कसी कानून के अंतर्गत अपेक्षत तथा / अथवा प्रत्यारोपत की गई हों, यदि कोई हों, , अथवा कसी प्रश्न अथवा संदेह अथवा कठिनाइयों के निवारण निवारण के उद्देश्य से, ऐसी लेखा प्रवृष्टियों को लेखा बहियों में प्रभारित करने तथा / अथवा समायोजित करने सहित योजना को प्रभाव देने के लए आवश्यक मानी गई हैं, ववेकानुसार आवश्यक, वांछनीय, यथोचत अथवा उचत समझे गए अनुसार कर सकेगा।”

निदेशक मंडल के आदेश से

मनोहर बलवानी  
कंपनी सचव

पंजीकृत कार्यालय:

ऊर्जानिध, 1, बाराखंभा लेन,

कनॉट प्लेस,

नई दिल्ली- 110001

सीआईएन: एल65910डीएल1986जीओआई024862

तिथ: 03.08.2018

नोट :

1. वार्षिक आम बैठक ("बैठक") में भाग लेने तथा वोट देने का पात्र कोई भी सदस्य अपने स्थान पर अपनी ओर से बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के लिए कसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकता है तथा ऐसे प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। तथापि, प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए वधवत पूर्ण, मोहरबंद एवं हस्ताक्षरित उपकरण बैठक प्रारंभ होने से कम से कम अड़तास घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करवाया जाना चाहिए। खाली प्रॉक्सी फार्म संलग्न हैं तथा इनकी निःशुल्क प्राप्ति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से भी की जा सकती है। इस प्रकार नियुक्त कए जाने वाले प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।
2. कोई व्यक्ति अधिकतम पचास ऐसे सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के कार्य कर सकता है जिनके वोट अधिकार युक्त शेयरों की होल्डिंग कंपनी की कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक न हो। कंपनी की कुल शेयर पूंजी में से दस प्रतिशत से अधिक वोट अधिकार युक्त शेयरों का धारण करने वाले सदस्य कसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं तथा ऐसे ऐसे व्यक्ति को कसी अन्य शेयरधारक की ओर प्रॉक्सी के कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
3. कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है क वे वधवत हस्ताक्षरित बोर्ड संकल्प / बैठक में भाग लेने तथा अपनी से वोट करने का प्राधिकार देने के लिए लए पाँवर ऑफ एटर्नी की प्रति भजवाने की की व्यवस्था करें।
4. बैठक में वोट देने अथवा कोई संकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त कोई भी सदस्य बैठक प्रारंभ होने के नियत समय से चौबीस घंटे पूर्व से बैठक के समापन तक लॉज की गई प्राक्सियों प्राक्सियों की जांच कंपनी के व्यवसाय कार्य समय के दौरान कर सकेगा परंतु इसके लिए उसे जांच करने की अपनी लखत मंशा कंपनी को कम से कम तीन दिन पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।
5. भारतीय प्रतिभूति एवं वनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं), वनियमावली, 2015 के वनियम 44 के प्रावधानों के अनुसरण में एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 108 के अंतर्गत कंपनी द्वारा बैठक में संव्यवहार की जाने वाली सभी मर्दों के संबंध में कंपनी के सभी शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग की सुवधा प्रदान की जा रही है। कंपनी द्वारा आम एजीएम (वार्षिक आम बैठक) के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुवधा के लिए कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लमटेड (कार्वी) की सेवाएं सेवाएं प्राप्त की गई हैं। इलेक्ट्रानिक नोटिस के माध्यम से भेजी गई उपस्थिति शीट / ईमेल के निचले भाग में यूजर आईडी तथा पासवर्ड का ववरण दिया गया है। रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रया तथा निदेश नीचे प्रस्तुत कए जा रहे हैं। सभी सदस्यों से अनुरोध है क कृपया वे ई-वोट करने से पूर्व इन निदेशों को सावधानीपूर्वक पढ लें।

इसके अलावा, इलेक्ट्रानिक वोटिंग सस्टम /बैलेट अथवा पोलंग पेपर के माध्यम से दी जा रही वोटिंग की सुवधा बैठक के दौरान भी उपलब्ध रहेगी तथा बैठक में भाग लेने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है वे बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दे सकेंगे।

कंपनी द्वारा श्री सचन अग्रवाल, प्रैक्टिसंग कंपनी सचव (एफसीएस नम्बर 5774, सी.पी. नम्बर 5910) को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रया तथा इलेक्ट्रानिक वोटिंग सस्टम / बैठक के दौरान बैलेट अथवा पोलंग पेपर वोटिंग प्रक्रया की व्यवस्था निष्पक्ष एवं पारदर्शी स्वरूप में करने के लिए व्यवस्थापक के तौर पर नियुक्त कया गया है।

#### रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रया तथा निदेश

- I. अपने इंटरनेट ब्रॉउजर पर यह लंक खोलें: <https://evoting.karvy.com>.
- II. उपस्थिति शीट / ईमेल के निचले भाग में आरंभक पासवर्ड दे दिया गया है।

ईवीईएन (ई-वोटिंग इवेंट नम्बर)	यूजर आईडी	पासवर्ड
	ड्रमेट स्वरूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए:- इवेंट नम्बर के पश्चात : एनएसडीएल के लिए :- 8 करेक्टर वाली डीपी आईडी के बाद 8 अंकों अंकों वाली क्लाइंट आईडी	आपका यूनिक पासवर्ड ईमेल के माध्यम से भेजे गए इलेक्ट्रानिक नोटिस में उपस्थिति स्लिप पर मुद्रित कया गया है।

सीडीएसएल के लए :- 16 अक्षरों वाली बैनिफिशियरी आईडी फजिकल स्वरूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लए:- इवेंट नम्बर के पश्चात कंपनी में पंजीकृत फोलयो नम्बर
---

- (क) कार्वी से ईमेल प्राप्त करने वाले सदस्यों के मामले में [ऐसे सदस्यों के लए लागू जिनके ईमेल पते कंपनी / निक्षेपागार सहभागी (पार्टिसिपेंटों) के पास रजिस्टर्ड हैं]:
- (i) लॉगन ववरण (अर्थात यूजर आईडी तथा पासवर्ड) दर्ज करें। तथाप, यदि आप पहले से ही कार्वी में ई-वोटिंग के लए पंजीकृत हैं तो आप अपनी वद्यमान यूजर आई डी और पासवर्ड का उपयोग वोट देने के लए कर सकते हैं।
- (ii) उपर्युक्त ववरण दर्ज करने के पश्चात लॉगन पर क्लिक करें।
- (iii) पासवर्ड चेंज मैनु प्रस्तुत होगा। अपने पासवर्ड को बदलकर अपनी पसंद का नया पासवर्ड बना लें। आपके पासवर्ड में कम से कम 8 करेक्टर होने चाहिए जिनमें से आपको एक अपर केस (A से Z), एक लोअर केस (a से z), एक न्यूमरिकल (0 से 9) तथा एक विशेष करेक्टर (@, #, \$, इत्यादि) का उपयोग करना है। पहली बार लॉगन करने पर सस्टम द्वारा आपसे अपना संपर्क ववरण जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल पता इत्यादि भी अपडेट करने के लए कहा जाएगा। पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में दोबारा पासवर्ड बनाने के लए आप आप अपना कोई सीक्रेट प्रश्न तथा उसका कोई अपनी पसंद का उत्तर भी एन्टर कर सकते हैं। हमारा यह आग्रह है क आप कभी भी अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय बनाए रखने के लए अत्यधिक सावधानी बरतें। अपने नए ववरण के साथ आपको एक बार फर से लॉगन करना पड़ेगा।
- (iv) सफलतापूर्वक लॉगन कर लेने के पश्चात सस्टम द्वारा आपसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लमटेड का चयन ई-वोटिंग के लए करने के लए कहा जाएगा।
- (v) वोटिंग पेज पर "FOR/AGAINST" (पक्ष / वरोध) के लए कटऑफ तिथ के अनुसार अपने शेयरों की संख्या (जो आपके वोटों की संख्या भी है) दर्ज करें अथवा आप अपने शेयरों शेयरों की आंशक अथवा कोई भी संख्या "FOR" (पक्ष) के लए तथा आंशक संख्या "AGAINST" (वरोध) में दर्ज कर सकते हैं परन्तु "FOR/AGAINST" (पक्ष / वरोध) का योग योग ऊपर उल्लिखत आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होना चाहिए। आप ABSTAIN (अनुपस्थिति/वोटिंग में भाग नहीं लेना माना जाएगा) के वकल्प को भी चुन सकते सकते हैं। यदि कोई सदस्य "FOR" अथवा "AGAINST" में से कोई चयन नहीं करता है तो उसे "ABSTAIN" माना जाएगा तथा ऐसे धारित शेयरों को कसी शीर्ष (हेड) की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
- (vi) जिन सदस्यों के पास एक से अधिक फोलयो / डमैट खाते हैं उन्हें प्रत्येक फोलयो / डमैट खातों के लए अलग अलग वोटिंग प्रक्रया करनी होगी।
- (vii) नोटिस की प्रत्येक मद के संबंध में अलग अलग वोटिंग की जानी है। यदि आप कसी मद विशेष के संबंध में वोट नहीं देना चाहते हैं तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा।
- (viii) इसके पश्चात आप उचित वकल्प का चयन करके अपना वोट देकर "सबमट" के बटन पर क्लिक करें।
- (ix) आपके सम्मुख एक पुष्टि बॉक्स प्रस्तुत होगा। आगे बढ़ने के लए आप "OK" के बटन पर क्लिक करें अथवा इसे रद्द करने के लए आप "CANCEL" के बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। कसी संकल्प (संकल्पों) के संबंध में एक बार वोट देने के पश्चात आप अपने वोट में बदलाव नहीं कर सकेंगे। वोटिंग अवध के दौरान सदस्य अनेक बार तब तक लॉगन लॉगन कर सकते हैं जब तक उनके संकल्प (संकल्पों) के संबंध में पूरे वोट डाले जाने हैं।
- (x) कॉर्पोरेट / इंस्टीट्यूशनल सदस्यों (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) से भी अनुरोध है क वे बोर्ड संकल्प / प्राधकार पत्र इत्यादि की प्रमाणत स्कैन प्रति (पीडीएफ फॉर्म) वधवत प्राधकृत प्रतिनिध (प्रतिनिधियों) द्वारा सत्यापत हस्ताक्षर (हस्ताक्षरों) के नमूने के साथ व्यवस्थापक को उनके ईमेल पते : sachinag1981@gmail.com पर तथा उसकी एक प्रति evoting@karvy.com को मार्क करके भजवाने की व्यवस्था करें। ऊपर उल्लिखत दस्तावेजों की स्कैन की हुई इमेज नेमंग फॉर्मेट "Corporate Name\_Event No." में होनी चाहिए।
- (ख) यदि कसी मामले में सदस्यों को वार्षिक आम सभा के नोटिस की फजिकल प्रति प्राप्त हुई है (उन सदस्यों के मामले में लागू जिनके ईमेल पते कंपनी / डपोजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंटों) के पास पंजीकृत नहीं है अथवा उन्होंने फजिकल प्रति के लए अनुरोध किया है)
- (i) लॉगन ववरण (अर्थात यूजर आईडी तथा पासवर्ड) दर्ज करें। (आपकी यूजर आईडी और आरंभक पासवर्ड वार्षिक आम बैठक की उपस्थिति स्लिप में दिया गया है)
- (ii) कृपया अपना वोट देने के लए ऊपर क्रम संख्या (ii) से क्रम संख्या (x) का अनुसरण करें।

- III. कसी भी प्रकार के प्रश्न के लए कृपया अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के ई-वोटिंग यूजर मैनुअल से संदर्भ प्राप्त करें जो कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लमटेड की ई-वोटिंग वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर उपलब्ध है। ई-वोटिंग से जुड़ी कसी भी प्रकार की शकायत /जानकारी के लए सदस्यों द्वारा श्री बी.श्रीनिवास, कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लमटेड, कार्बी सेलेनियम टावर बी, प्लाट नम्बर 31 एवं 32 गाचीबोवली, फाइनैशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500032, फोन नम्बर 040 67162222 67162222 अथवा कार्बी के टोल फ्री नम्बर 1800-3454-001 पर स्पष्टीकरण के लए संपर्क किया जा सकता है।
- IV. यदि आप ई-वोटिंग के लए कार्बी में पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो आप अपनी यूजर आईडी एवं पासवर्ड के उपयोग से अपना वोट दे सकते हैं।
- V. वोटिंग अधिकार की संख्या कटऑफ तिथि अर्थात दिनांक 5 सतम्बर, 2018 को सदस्य (सदस्यों) द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार होगी। सदस्य तभी अपना वोट दे सकेंगे जब उनके पास उक्त तिथि को शेयरों का धारण होगा।
- VI. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधित नियमावली, 2015 के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग अवधि वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि से पूर्वगामी तिथि को सायं 5.00 बजे बंद कर दी जाएगी। तदनुसार वोटिंग दिनांक 8 सतम्बर, 2018 को प्रातः 10.00 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 10 सतम्बर, 2018 को सायं 5.00 बजे बंद की जाएगी। कार्बी द्वारा उस दिन सायं 5.00 बजे ई-वोटिंग माइयूल बंद कर दिया जाएगा।
- VII. कसी सदस्य द्वारा कसी संकल्प पर एक बार वोट दिए जाने के पश्चात उस सदस्य को बाद में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- VIII. वे सदस्य जिन्होंने अपना वोट ई-वोटिंग के माध्यम से दे दिया है वे बैठक में भाग तो ले सकेंगे परन्तु उन्हें फर से वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- IX. वे सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है वे अपना वोट बैठक स्थल पर दे सकते हैं।
- X. कोई भी सदस्य वोटिंग के लए केवल एक ही माध्यम अर्थात ई-वोटिंग का माध्यम अथवा वार्षिक आम बैठक के अवसर पर वोट देने का माध्यम चुन सकता है। यदि कसी सदस्य सदस्य द्वारा दोनों माध्यमों के चयन से वोट देता है तो ई-वोटिंग से दिया गया उसका वोट मान्य होगा तथा वार्षिक आम बैठक के स्थल पर दिया गया वोट अमान्य कर दिया जाएगा।
- XI. वे सदस्य जिन्होंने वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण तथा कटऑफ तिथि अर्थात दिनांक 03 सतम्बर, 2018 से पूर्व शेयर अधगृहित कए हैं वे इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डालने के लए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड निम्नानुसार प्राप्त कर सकते हैं:-

क. यदि सदस्य का ईमेल पता अथवा मोबाइल नंबर फोलयो संख्या / डीपी आईडी क्लाइंट आईडी में पंजीकृत है :

तो सदस्य अपना अनुरोध **9212993399** पर इस प्रकार एसएमएस भेजकर प्राप्त कर सकते हैं : MYEPWD <स्पेस> इवेंट नम्बर+फोलयो नंबर अथवा डीपी आईडी अथवा क्लाइंट आईडी

एनएसडीएल के लए उदाहरण : MYEPWD <स्पेस> IN12345612345678

सीडीएसएल के लए उदाहरण : MYEPWD < स्पेस > 1402345612345678

फजिकल के लए उदाहरण : MYEPWD <स्पेस> XXX1234567890

अथवा

सदस्य <https://evoting.karvy.com> के होम पेज पर जाकर 'फॉर्गॉट पासवर्ड' पर क्लिक करें तथा अपना फोलयो नंबर अथवा डीपी आईडी अथवा पैन नंबर डालकर नया पासवर्ड बना सकते हैं।

ख. सदस्य कार्बी को टोल फ्री नम्बर 1-800-3454-001 पर कॉल कर सकते हैं।

ग. सदस्य [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) को ईमेल के माध्यम से अनुरोध कर सकते हैं। तथाप, कार्बी द्वारा उन्हीं नए सदस्यों को यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा जिनके ईमेल पते उनके पास उपलब्ध हैं।

- XII. संकल्पों के परिणामों की घोषणा वार्षिक आम बैठक में अथवा उसके पश्चात कंपनी द्वारा की जाएगी तथा उन संकल्पों को वार्षिक आम बैठक की तिथि को पारित माना जाएगा जिन संकल्पों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में वोट डाले गए हैं।
- XIII. व्यवस्थापक (व्यवस्थापकों) की रिपोर्ट (रिपोर्टों) के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट (www.pfcindia.com) तथा कार्वी की वेबसाइट (https://evoting.karvy.com) पर देखे जा सकेंगे तथा इन्हें बीएसई लमटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लमटेड को भी भजवाया जाएगा।
- XIV. कृपया नोट करें कि कोई व्यक्ति जो कटऑफ तिथि को कंपनी का सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से ही देखना चाहिए।
- XV. भवष्य में सूचना (सूचनाओं) के प्रेषण के लिए आप अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आई अपने यूजर प्रोफाइल में अपडेट कर सकते हैं।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में बैठक के दौरान कए जाने वाले विशेष संव्यवहार से संबंधित ववरण इसके साथ संलग्न कया गया है।

7. भारतीय प्रतिभूति एवं वनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं), वनियमावली, 2015 के वनियम 36(3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार रोटेशन में सेवानिवृत्त हो रहे तथा मद संख्या 3 के अंतर्गत पुनःनियुक्ति का अनुरोध करने वाले श्री चन्मय गंगोध्याय, निदेशक तथा नोटिस की मद संख्या 5 के अंतर्गत पुनर्नियुक्ति की अपेक्षा करने वाली श्रीमती गौरी चौधरी के संक्षिप्त प्रोफाइल कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अंतर्गत इस नोटिस का भाग हैं।

8. सदस्यों से यह अनुरोध कया जाता है क :-

- यह नोट करें क वार्षिक आम बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वतरित नहीं की जाएंगी।
- पूरी तरह से भरी हुई तथा हस्ताक्षर की हुई उपस्थिति स्लिप को कृपया बैठक स्थल के प्रवेश द्वार पर सौंपें तथा ऑडटोरियम में प्रवेश की अनुमति केवल प्रवेश द्वार पर स्लिप के स्थान पर जारी की जाने वाली प्रवेश स्लिप के आधार पर ही दी जाएगी।
- प्रत्येक प्रकार के पत्रव्यवहार में फोलयो/खलाइंट आईडी तथा डीपी आईडी नम्बरों का उल्लेख करें।
- कृपया नोट करें क कड़े सुरक्षा कारणों से ऑडटोरियम के भीतर ब्रीफ केस, खाने की वस्तुएं तथा अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- कृपया नोट करें क वार्षिक आम बैठक में कसी प्रकार का उपहार / कूपन वतरित नहीं कया जाएगा।
- कृपया नोट करें क संयुक्त धारकों द्वारा बैठक में भाग लेने के मामले में केवल उच्चतर धारण करने वाले धारक को ही वोट देने का अधिकार होगा।

9. दिनांक 3 नवम्बर, 2017 तथा दिनांक 26 फरवरी, 2018 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल द्वारा कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर @ 60% (₹6.00 प्रति के पहले अंतरिम लाभांश तथा @18% (₹1.80 प्रति शेयर) के दूसरे अंतरिम लाभांश भुगतान की घोषणा की गई थी जिसका भुगतान दिनांक 23 नवम्बर, 2017 तथा 19 मार्च, 2018 को क्रमशः कर दिया गया है। वे सदस्य जिन्हें लाभांश वारंट प्राप्त नहीं हुआ है अथवा जिन्होंने उसका नकदीकरण नहीं करवाया है वे कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लमटेड से अपने वारंट को पुनःवैध करवाने अथवा डुप्लीकेट वारंट प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकते हैं।

10. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहियां 1 सतंबर, 2018 से 11 सतंबर, 2018 (दोनों दिन मलाकर) तक बंद रहेंगी।

11. धारा 205ए के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205सी के अनुसार सात वर्ष की अवधि के चुकता न कए गए / दावा न कए गए लाभांश की राश केन्द्र सरकार की निवेशक निवेशक शक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित की जानी है। इसलए सदस्यों को यह परामर्श दिया जाता है क वे प्राप्त होने पर अपने लाभांश का नकदीकरण शीघ्र करवा लें। निवेशकों का ववरण (जिन्हें भुगतान कया जाना है) एम.सी.ए. वेबसाइट (फार्म5 आईएनवी) तथा कंपनी की वेबसाइट पर दिया गया है जिससे निवेशक उसके प्रति अपना दावा प्रस्तुत कर सकें।

12. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा "कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए हरित उपाय" इसलए कए गए हैं जिसके अंतर्गत कंपनियों को कागजमुक्त अनुपालन की अनुमति दी गई है तथा इस संबंध में जारी परिपत्रों के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट सहित सूचना / दस्तावेज सदस्यों को ईमेल से भजवाए जा सकती हैं। सरकार द्वारा कए जा रहे इस हरित प्रयास का सही मायनों में समर्थन करते हुए सदस्यों से यह अनुरोध है क वे अपने इलेक्ट्रॉनिक धारण के संबंध में अपना ईमेल आईडी अपने संबंधित डपोजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से पंजीकृत करवा लें। जिन सदस्यों के पास फजिकल स्वरूप में शेयर हैं उनसे अनुरोध है क वे कंपनी की आरटीए मैसर्स कार्वी के पास अपना ईमेल आईडी पंजीकृत करवा लें।

13. सदस्यों को यह परामर्श दिया जाता है क वे अपने ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सस्टम) मैनडेट की जानकारी कंपनी को दे दें जिससे कंपनी द्वारा ईसीएस के माध्यम से भुगतान कए जा सकें। जिनके पास शेयरों का धारण फजिकल रूप में है वे अपने ईसीएस मैनडेट की जानकारी कंपनी की आरटीवी कार्वी को दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में शेयरों का धारण करने

वाले सदस्य अपना ईसीएस मैनडेट फॉर्म सीधे अपने डजीटरी पार्टिसपेंस (डीपी) को भेज सकते हैं। जिन्होंने अपना ईसीएस मैनडेट फॉर्म कंपनी / आरटीए / डीपी को पूरे ववरण के साथ दे दिया है उन्हें इसे फर से भेजने की आवश्यकता नहीं है।

14. फजिकल स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले ऐसे शेयरधारक, जो ईसीएस की सुवधा नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया अपने बैंक के नाम, शाखा और खाता संख्या की जानकारी कंपनी के आरटीए मैसर्स कार्वा को मेल से भजवाने की व्यवस्था करें जिससे लाभांश के वारंट पर उसका ववरण मुद्रित कया जा सके।
15. भारतीय प्रतिभूति एवं वनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं), वनियमावली, 2015 द्वारा प्रतिभूति बाजार के प्रत्येक प्रतिभागी से अपना पर्मानेंट एकाउंट नंबर (पैन) प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। इलेक्ट्रानिक स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है क वे अपना पैन नंबर अपने डपोजिटरी पार्टिसपेंट को दे दें जो उनके डमैट खातों को को देख रहा है। अंतरिती (अंतरितीयों) के लए भी यह अनिवार्य है क वह अंतरण के पंजीकरण के लए और फजिकल स्वरूप में लस्टिड कंपनियों के शेयरों के अंतरण सहित प्रतिभूति बाजार लेनदेन और ऑफ मार्केट / प्राइवेट संव्यवहार करने के लए अपने पैन कार्ड की एक प्रति कंपनी /आरटीए के पास जमा करवा दें। तदनुसार, फजिकल स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले सदस्य अपना पैन कंपनी / कंपनी की आरटीए कार्वा के पास जमा करवा सकते हैं।
16. फजिकल स्वरूप में अनेक फोलयो वाले शेयरों का धारण करने वाले सदस्य कंसोलडेशन के लए कंपनी अथवा कंपनी की आरटीए मैसर्स कार्वा से अपने शेयर प्रमाणपत्रों के साथ संपर्क कर सकते हैं।
17. सदस्यों से अनुरोध है क वे अपने शेयरों के अंतरण के पंजीकरण, ट्रांसमशन, सबडवीजन शेयरों के कंसोलडेशन अथवा शेयरों से संबंधत अन्य कसी मामले तथा / अथवा पते एवं बैंक खाते में परिवर्तन के लए कंपनी की आरटीए मैसर्स कार्वा से संपर्क करें।
18. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति की जाती है तथा अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसरण में उनके पारिश्रमक का निर्धारण कंपनी की वार्षिक आम बैठक अथवा कंपनी द्वारा कए जाने वाले निर्धारण के अनुसार आम बैठक में कया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एम.के.अग्रवाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार एवं गांधी मनोचा एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसरण में वत्त वर्ष 2018-19 के लए कंपनी का संयुक्त सांवधक लेखापरीक्षण करने के लए चुना गया है। सदस्यों द्वारा निदेशक मंडल को वत्त वर्ष 2018 के संबंध में लेखापरीक्षकों के लए उचत पारिश्रमक का निर्धारण निदेशक मंडल द्वारा उचत स्वरूप में करने का प्राधकार दिया जाना है।
19. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अंतर्गत दी गई अनुमति के अनुसार कंपनी की शेयरधारिता के संबंध में नामांकन करने के इच्छुक सदस्य निर्धारित फॉर्म में अपना अनुरोध कंपनी की आरटीए मैसर्स कार्वा को प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि शेयरों का धारण डमैट स्वरूप में कया गया है तो नामांकन डपोजिटरी पार्टिसपेंट को प्रस्तुत कया जाना है।
20. फजिकल स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है क वे अपने पते में परिवर्तन की सूचना तत्काल कंपनी की आरटीए मैसर्स कार्वा तथा इलेक्ट्रानिक स्वरूप में शेयरों का धारण करने के मामले में अपने संबंधत डपोजिटरी पार्टिसपेंट को दें।
21. इस बैठक में वत्तीय ववरणों तथा कसी अन्य प्रकार के व्यवसाय के संबंध में कसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य बैठक की तिथ से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व अपना अनुरोध कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी के कंपनी सचव को प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे अपेक्षत सूचना बैठक में तत्काल उपलब्ध करवाई जा सके।
22. नोटिस में संदभृत सभी संबद्ध दस्तावेज एवं सांवधक रजिस्टर प्रत्येक कार्य दिवस (शनिवार तथा रववार के अलावा) में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम बैठक के आयोजन से से पूर्व प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक जांच के लए उपलब्ध होंगे।
23. संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट [www.pfcindia.com](http://www.pfcindia.com) पर भी उपलब्ध है।
24. तालकटोरा इंडोर स्टैडियम का रूट मैप इसके साथ संलग्न कया जा रहा है।

नोटिस में निर्धारित वशेष व्यवसाय संव्यवहार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में ववरण।

मद संख्या 5

संलग्न नोटिस की मद संख्या 5 में कए गए वशेष व्यवसाय संव्यवहार से संबंधत सामग्रीगत तथ्य निम्नलखत ववरण में प्रस्तुत कए गए हैं:-

श्रीमती गौरी चौधरी, 76 वर्ष की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के दिनांक 22 सितम्बर, 2017 के पत्र संख्या 20/8/2016-समन्वय(भाग-II) के माध्यम से उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कए जाने की तिथि से 3 वर्ष के लए अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, की गई थी तथा उन्हें निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 3 नवंबर, 2017 से इस वार्षिक आम बैठक के आयोजन तक के लए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त कया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी द्वारा श्रीमती गौरी चौधरी से से लखत में कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के पद की अपनी उम्मीदवारी के ववरण के साथ हस्ताक्षरबद्ध नोटिस प्राप्त कया गया है। श्रीमती गौरी चौधरी की नियुक्ति का वनियमन करने वाले नियमों तथा तथा शर्तों का निर्धारित भारत सरकार द्वारा कया जाना है।

इसके अलावा, सेबी (लस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (संशोधन), वनियमावली, 2018 में शामिल नए वनियम 17(1ए) के अंतर्गत कोई लस्टिड कंपनी विशेष संकल्प पारित करके 75 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके कसी ऐसे व्यक्ति की सेवाएं गैर-अधशासी निदेशक के पद पर निदेशक के रूप में प्राप्त कर सकती है। पीएफसी एक सरकारी कंपनी है अतः कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसरण में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा वद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है। इस ओर ध्यान दिया जाए क श्रीमती गौरी चौधरी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 75 वर्ष की आयु में तीन वर्ष की अवधि के लए वद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की गई थी। तदनुसार, एक विशेष संकल्प प्रस्तावत कया गया है।

उनके संक्षिप्त वैयक्तिक ववरण के साथ साथ विशेष कार्यात्मक क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता का ववरण प्रस्तुत कया जा रहा है जो इस नोटिस का भाग है।

इस संकल्प के प्रति श्रीमती गौरी चौधरी संबद्ध एवं इच्छुक हैं।

इसके अलावा, कोई अन्य निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कर्मक अथवा उनके कसी सम्बद्ध का, वत्तीय अथवा अन्यथा, इस संकल्प के पारित होने के प्रति कोई सरोकार अथवा हित, कंपनी में उनकी शेयरधारिता के परिमाण के अलावा, नहीं है।

निदेशक मंडल विशेष संकल्प के रूप में आपको अनुमोदन के लए इस नोटिस के क्रम संख्या 5 पर दिए गए संकल्प की सफारिश करता है।

मद संख्या 6

संलग्न नोटिस की मद संख्या 6 में कए गए विशेष व्यवसाय संव्यवहार से संबंधत सामग्रीगत तथ्य निम्नलखत ववरण में प्रस्तुत कए गए हैं:-

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र का अधिसूचित वत्तीय संस्थान है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवसंरचना वत्तीय कंपनी के रूप में वर्गीकृत प्रणालीगत स्वरूप में महत्वपूर्ण जमा न स्वीकार करने वाली गैर-बैंकंग वत्तीय कंपनी है। कंपनी द्वारा वद्युत संस्थाओं की वत्त आवश्यकताओं तथा वद्युत क्षेत्र को वकास आवश्यकताओं की पूर्ति के लए वत्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा अपनी निधि आवश्यकताओं की पूर्ति बॉण्ड जारी करके, बैंकों/वत्तीय संस्थानों तथा ईसीबी इत्यादि से आवधिक ऋण प्राप्त करके की जाती है।

कंपनी के ऋणों के मुख्य घटक सामान्यता संडकेटिड ऋण/ ऋण व्यवस्था (लाइन ऑफ क्रेडिट), दीर्घावधि, मध्यावधि और अल्पावधि ऋणों (वाणज्यिक पेपर सहित) के माध्यम से दीर्घावधि/अल्पावधि कर दीर्घावधि/अल्पावधि कर योग्य बॉण्ड/कर मुक्त बॉण्ड/ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड/ जीरो कूपन बॉण्ड/ सबऑर्डनेटिड बॉण्ड/ अन्य बॉण्ड, ईसीबी के सार्वजनिक निजी प्लेसमेंट के रूप में होते हैं। कंपनी (प्रतिभूतियों का ववरण एवं आबंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी के लए अपरिवर्तनीय डब्लेचरों की निजी प्लेसमेंट के माध्यम से निधि जुटाने के लए विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।

उपर्युक्त लागू प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 20 सितम्बर, 2017 को आयोजित पछली वार्षिक आम बैठक की पछली बैठक में शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान (अर्थात् 20 सितम्बर, 2017 से 19 सितम्बर, 2018) अपरिवर्तनीय डब्लेचरों के माध्यम से ₹65,000 करोड़ तक की निधियां जुटाने का अनुमोदन प्रदान कया गया था।

निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त होने की शर्त पर भारत तथा / अथवा भारत के बाहर बांड्स/डब्लेचर्स/नोट्स/ऋण प्रतिभूतियां जारी करके चालू वार्षिक आम सभा की बैठक के आयोजन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान ₹65,000 करोड़ रूपए की निधियों की उत्पत्ति का अनुमोदन दिया गया था।

निदेशक मंडल द्वारा बोर्ड (निदेशक मंडल द्वारा गठित अन्य कोई समिति अथवा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अन्य कोई प्राधकारी सहित) को भारत तथा / अथवा भारत के बाहर बांड्स/डब्लेचर्स/नोट्स/ ऋण प्रतिभूतियां जारी करके चालू वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान ₹65,000 करोड़ रूपए की निधियों की उत्पत्ति का प्राधकार देने के लए लए शेयरधारकों से अनुमोदन मांगा गया है।

इसके अलावा, निदेशक मंडल द्वारा बोर्ड (निदेशक मंडल द्वारा गठित अन्य कोई समिति अथवा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अन्य कोई प्राधिकारी सहित) को भारत तथा / अथवा भारत के बाहर प्रतिभूत / अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, कर योग्य, कर मुक्त, वरिष्ठ /सबओर्डनेट बॉण्ड्स /डिबेंचर्स /नोट्स / डेब्ट सक्चोरिटीज ("बॉण्ड्स") जारी करके चातू वर्षक आम बैठक के आयोजन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान ₹65,000 करोड़ रूपए की निधियों की उत्पत्ति के लए अंशदान के लए प्रस्ताव देने अथवा निमंत्रण देने का प्राधिकार दिए जाने तथा बॉण्ड्स जारी करने से संबंधित सभी आवश्यक कृत्य, क्रयाएं एवं कार्य करने का प्राधिकार दिए जाने, जिसमें अन्यों के साथ साथ अंकित मूल्य, इश्यू आकार, समय, राशि, सुरक्षा, कूपन /ह्याज दर, प्रतिफल, लस्टिंग, आबंटन तथा बॉण्ड्स के के इश्यू के अन्य नियम एवं शर्तें अपने ववेकानुसार आवश्यक समझे गए कार्य भी शामिल होंगे, का अनुमोदन देने की अपेक्षा भी शेयरधारकों से की गई है।

तदनुसार, निदेशक मंडल विशेष संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन के लए इस नोटिस के क्रम संख्या 6 पर दिए गए संकल्प की सफारिश करता है।

निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मक अथवा उनके कसी सम्बद्ध का, वत्तीय अथवा अन्यथा, इस संकल्प के पारित होने के प्रति कोई सरोकार अथवा हित, कंपनी में उनकी शेयरधारिता के परिमाण के अलावा, नहीं है।

#### मद संख्या 7

संलग्न नोटिस की मद संख्या 7 में विशेष व्यवसाय संव्यवहार से संबंधित निम्नलिखित ववरण में कंपनी (समाधान, व्यवस्थाएं तथा समामेलन) नियमावली, 2016 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 230(3), 231(1) तथा (2) के अंतर्गत सामग्रीगत ववरण दिए गए हैं:

पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड (PFCGEL) तथा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लमटेड (PFC) के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 18.7.2016 तथा 9.8.2016 को आयोजित क्रमशः अपनी 35वीं तथा 350वीं बैठक बैठक में पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड का वलय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लमटेड में कए जाने के प्रति सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इसके पश्चात "पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड (अंतरकर्ता कंपनी) का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी)" तथा उनके संबंधित शेयरधारकों का प्रस्तावत समामेलन कए जाने की व्यवस्था के नियम एवं शर्तों से युक्त योजना का अनुमोदन संबंधित कंपनियों के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 25.8.2017 तथा 29.9.2017 को क्रमशः आयोजित बैठकों में दिया गया था तथा यह स्पष्टीकरण ववरण अनुलग्नक -1 एवं इस ववरण के के भाग के रूप में संलग्न कया जा रहा है।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लमटेड (एतद्वारा सार में दी गई स्वीकृति के अनुसार "अंतरिती कंपनी" के रूप में संदर्भित) के इक्विटी शेयरधारकों की एक बैठक इस उद्देश्य से वचार तथा, उचित पाए जाने जाने की स्थिति में, पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड (अंतरक कंपनी) का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी) तथा उनके संबंधित शेयरधारकों ("योजना") का कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 230-232 (सांवधक आशोधनों अथवा पुन-प्रवर्तन अथवा उनमें संशोधनों सहित), जो उसके अध्याधीन निर्मित नियमों एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 582 (ई) के साथ पठनीय है, का समामेलन कए जाने की प्रस्तावत योजना का अनुमोदन संशोधन (संशोधनों) के साथ अथवा बिना कए जाने के लए आयोजित की की जा रही है।

इसके अलावा, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सम्मुख दिनांक 9.5.2018 को योजना के साथ उपर्युक्त वलय के लए एक आवेदन प्रस्तुत कया गया है तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय से इस संबंध में प्राप्त होने वाले निदेशों की शर्त पर इक्विटी शेयरधारकों से अनुमोदन मांगा जा रहा है।

#### संक्षिप्त ववरण

- इस योजना में कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 230-232 के अंतर्गत आवेदक कम्पनियों के मध्य 1.4.2017 से प्रभावी व्यवस्था की संकल्पना की गई है।
- अंतरक कंपनी, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी), जो ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अध्याधीन केन्द्र सरकार का 'नवरत्न' सार्वजनिक उपक्रम है, के पूर्ण स्वामत्व वाली सहायक कंपनी है। इस प्रकार कंपनी अधिनियम के खंड 2(45) के उपबंधों के अनुसार अंतरक तथा अंतरिती कम्पनियां, दोनों, 'सरकारी कम्पनियां' हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 13 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 582(ई) में "ट्रिव्यूनल" शब्द, जहां कहीं इसका उपयोग हुआ हो, को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XV, खंड 230 से 232 में "केन्द्रीय सरकार" से परिवर्तित कए जाने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार, यह योजना केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने की शर्त के अध्याधीन है।
- पृष्ठभूम

पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड (अंतरक कंपनी) का ववरण

**क)** “पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड” (अंतरक कंपनी) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसका निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 30.3.2011 को किया गया है।

**ख)** कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): यू 65923 डीएल 2011 जीओआई 216796.

**ग)** नाम परिवर्तन से संबंधित ववरण : पावर फाइनेंस कारपोरेशन ग्रीन एनर्जी लमटेड से पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड

**घ)** पर्मानेंट एकाउंट नम्बर (पैन) : AAGCP1323C (एएजीसीपी) 323सी)

**ङ)** अंतरक कंपनी का पंजीकृत कार्यालय “ऊर्जानिध”, 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली -110001 में स्थित है।

**च)** अंतरक कंपनी के लक्ष्य :

अंतरक कंपनी गैर - बैंक वत्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है तथा इसके द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 2012 को भारतीय रिजर्व बैंक से गैर-बैंक वत्त कंपनी (NBFV) का अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। अंतरक कंपनी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा कुशल की प्रत्येक प्रकार की परियोजनाओं के लए वत्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

अंतरक कंपनी का निगमन पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी) की वस्तारित भुजा के रूप में पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी) के पूर्ण स्वामत्व वाली सहायक कंपनी कंपनी के रूप में ऊर्जा के हरित स्रोतों(नवीकरणीय एवं गैर-पारम्परिक) के प्रोत्साहन के लए वत्तीय सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। प्रमुख लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

- (i) हरित (नवीकरणीय एवं गैर-पारम्परिक स्रोत) ऊर्जा की उत्पत्ति के लए वत्तीय सहायता
- (ii) ऊर्जा कौशल एवं संरक्षण के लए वत्तीय सहायता
- (iii) हरित (नवीकरणीय एवं गैर-पारम्परिक स्रोत) ऊर्जा के क्षेत्र में उपकरण निर्माण के लए वत्तीय सहायता प्रदान करना।
- (iv) हरित (नवीकरणीय एवं गैर-पारम्परिक स्रोत) ऊर्जा को प्रोत्साहित करना।
- (v) हरित (नवीकरणीय एवं गैर-पारम्परिक स्रोत) ऊर्जा के लए पा वत्त के माध्यम से वत्तीय सहायता प्रदान करना।
- (vi) हरित (नवीकरणीय एवं गैर-पारम्परिक स्रोत) ऊर्जा के क्षेत्र की परियोजनाओं के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के लए वत्त उपलब्ध करवाना।
- (vii) हरित (नवीकरणीय एवं गैर-पारम्परिक स्रोत) ऊर्जा की योजनाओं के पुनरूद्धार / सुधार के लए वत्त उपलब्ध करवाना।
- (viii) मूल्यांकन के कार्य करना
- (ix) ऊर्जा के नवीकरणीय एवं गैर-पारम्परिक स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा विकास एवं आपूर्ति की प्रौद्योगिकी के वभन्न घटकों के लए सर्वेक्षण, अध्ययन तथा अनुसंधान क्रयाकलापों के लए वत्त उपलब्ध करवाना ।
- (x) पॉयलट परियोजनाओं में सहायता देना
- (xi) सीडीएम परियोजनाओं में सहायता देना
- (xii) कंपनी के सम्बद्ध क्रयाकलापों को प्रोत्साहित, व्यवस्थित करना तथा परामर्शी सेवाएं देना।

संगम ज्ञापन (MoA) तथा संगम अनुच्छेद (AoA) की प्रतियां जांच के लए उपलब्ध हैं।

**छ)** 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार अंतरक कंपनी की प्राधिकृत, इश्यूड, सब्सक्राइड तथा प्रदत्त शेयर पूंजी निम्नानुसार है :-

प्राधिकृत पूंजी:	
10/- रूपए मूल्य प्रत्येक के 100,00,00,000 इक्विटी शेयर	10,00,00,00,000
10/- रूपए मूल्य प्रत्येक के 20,00,00,00,000 अधिमान शेयर	2,00,00,00,000
इश्यूड, सब्सक्राइड तथा प्रदत्त शेयर पूंजी:	
10/- रूपए मूल्य प्रत्येक के 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	100,00,00,000
10/- रूपए मूल्य प्रत्येक के 20,00,00,00,000 अधिमान शेयर	200,00,00,000
योग	300,00,00,000

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी) का ववरण :

- क)** “पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड” (अंतरिती कंपनी) सार्वजनिक क्षेत्र की सूचीबद्ध कंपनी है जिसका निगमन 16.7.1986 को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया गया था।
- ख)** नाम परिवर्तन से संबंधित ववरण: लागू नहीं
- ग)** कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): एल65910 डीएल1986 जीओआई024862
- घ)** पर्मानेंट एकाउंट नम्बर (पैन): AAACP1570H (एएएसीपी1570एच)
- ङ)** कंपनी का पंजीकृत कार्यालय “ऊर्जा निध”, 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली -110001 में स्थित है।
- च)** अंतरिती कंपनी के लक्ष्य:

अंतरिती कंपनी गैर - बैंक वत्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है तथा इसके द्वारा दिनांक 10.2.1998 को भारतीय रिजर्व बैंक से गैर-बैंक वत्त कंपनी (NBFC ) का अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया गया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसका वर्गीकरण दिनांक 28 जलाई, 2010 को अवसरचना वत्त कंपनी के रूप में किया गया है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड ऊर्जा क्षेत्र का एक प्रमुख वत्तीय वत्तीय संस्थान एवं गैर-बैंक वत्त कंपनी है जो भारतीय ऊर्जा सेक्टर के विकास के लए निध एवं गैर-निध आधारित सहायता प्रदान करती है। यह कंपनी ऊर्जा क्षेत्र में वत्तीय तथा ऊर्जा एवं सम्बद्ध सम्बद्ध सेक्टरों के एकीकृत विकास के लए सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी के प्रमुख लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

- (i) ऊर्जा परियोजनाओं के लए वत्त उपलब्ध करवाना।
- (ii) ऊर्जा ट्रांसमिशन एवं वतरण कार्यों के लए वत्त उपलब्ध करवाना।
- (iii) ऊर्जा संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लए वत्त उपलब्ध करवाना।
- (iv) व्यवस्था सुधार तथा ऊर्जा संरक्षण के लए वत्त उपलब्ध करवाना।
- (v) पूंजी उपकरणों इत्यादि के अनुरक्षण तथा मरम्मत के लए वत्त उपलब्ध करवाना।
- (vi) सवेक्षण एवं जांच के लए वत्त उपलब्ध करवाना ।
- (vii) अध्ययनों, योजनाओं एवं अनुभवों के लए वत्त उपलब्ध करवाना।
- (viii) अन्य ऊर्जा स्रोतों के लए वत्त उपलब्ध करवाना ।
- (ix) परामर्शी सेवाओं का प्रोत्साहन करना तथा संगठित करना।
- (x) पूंजी उपकरणों के निर्माण के लए वत्त उपलब्ध करवाना।
- (xi) ऊर्जा परियोजनाओं से भावी एवं पूर्व संबद्धता वाली परियोजनाओं के लए वत्त क्रयकलाप।

संगम ज्ञापन (MoA) तथा संगम अनुच्छेद (AoA) की प्रतियां जांच के लए उपलब्ध हैं।

**छ)** 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार अंतरिती कंपनी की प्राधिकृत, इश्यूड, सब्सक्राइड तथा प्रदत्त शेयर पूंजी निम्नानुसार है :-

प्राधिकृत पूंजी :	
10/- रूपए मूल्य प्रत्येक के 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर	10000,00,00,000
इश्यूड, सब्सक्राइड तथा प्रदत्त शेयर पूंजी:	
10/- रूपए मूल्य प्रत्येक के 264,00,81,408 इक्विटी शेयर	2640,08,14,080
योग	<b>2640,08,14,080</b>

iv. योजना के लक्ष्य तथा औचित्यपरकता

अंतरक कंपनी अंतरिती कंपनी के पूर्ण स्वामत्व वाली सहायक कंपनी है तथा इनके द्वारा समान प्रकार के व्यवसाय कए जाते हैं। समान प्रकार के कार्यों को एक स्थान पर समेकत करने के उद्देश्य से एवं अंतरक कंपनी के प्रभावी प्रबंधन के लए तथा एकल कंपनी के रूप में अंतरिती कंपनी द्वारा वधक इकाईयों की संख्या कम करके, वधक एवं वनियामक अनुपालनों की बहुतायत को कम करके, लागतों को औचत्यपरक बनाने सहित समूह संरचना को सुचारू बनाने के लए अंतरक कंपनी का समामेलन अंतरिती कंपनी में करने का निश्चय कया गया है।

अंतरक कंपनी तथा अंतरिती कंपनी द्वारा कए जाने वाले स्वतंत्र प्रचालनों से लागतों में काफी बढ़ोतरी होती है तथा समामेलन से महत्वपूर्ण स्तर की अत्यधिक बचत संभव हो सकेगी तथा लागत में कमी लाई जा सकेगी। समामेलन से वधक इकाईयों की भागीदारी के कारण उत्पन्न होने वाली बहुपरतीय संरचना तथा प्रबंधकीय परस्परव्याप्तता समाप्त हो सकेगी तथा ऐसा करने से ऐसी दोहरी लागतों से भी बचा जा सकेगा जिनसे होल्डिंग संरचना की वत्तीय कार्यकुशलता प्रभावत होती है तथा इसके परिणामस्वरूप प्रचालन अत्यधिक लागत कुशल हो सकेंगे। इस योजना के परिणामस्वरूप अंतरिती कंपनी तथा इसके व्यवसायों की सरल निगमत संरचना तैयार हो सकेगी जिससे यह और अधिक कुशलता के साथ पूंजी का उपयोग कर सकेगी तथा अंतरिती कंपनी के भावी वकास के लए समेकत आधार का निर्माण हो सकेगा।

समामेलन से दोनों कम्पनियों के लक्ष्यों तथा व्यावसायिक रणनीतियों को आगे बढ़ाने में योगदान मलेगा जो अंतरिती कंपनी से जुड़े व्यवसायों में संवृद्ध, वस्तार और वकास को आगे बढ़ाने में सहायक सहायक होगा। समामेलन से इनके परिणामस्वरूप अंतरिती कंपनी का वकास हो सकेगा और इसे अपने व्यवसायों को और अधिक उपयुक्तता से करने के लए सुदृढ एवं ध्यान केन्द्रित आधार मल सकेगा। इसके अलावा, यह व्यवस्था प्रबंधन में संकेन्द्रित फोकस, अनुकूलन, प्रबंधन संरचना को संगत बनाने के कार्यतथा नीति परिवर्तनों का निर्बाध कार्यान्वयन करने में कारगर होगी तथा इससे अंतरक कंपनी तथा अंतरिती कम्पनियों की कार्यकुशलता में संवर्धन एवं नियंत्रण में भी सहायता मलेगी।

व्यवस्था योजना के अंतर्गत निर्मत सहक्रयाओं से प्रचालनात्मक कार्यकुशलता एवं एकीकृत व्यवसाय क्रयाकलापों में संवर्धन संभव हो सकेगा।

प्रस्तावत व्यवस्था से अंतरिती कंपनी को एकीकरण एवं लोचकता के अपार अवसर प्राप्त होंगे जिससे परिसम्पति आधार, राजस्व, उत्पाद एवं सेवा रेंज के संदर्भ में इस उद्योग में यह अपनी स्थिति सुदृढ कर सकेगी।

प्रस्तावत समामेलन से प्राप्त होने वाले अन्य लाभ निम्नानुसार हैं:-

- पूंजी, संसाधनों, परिसम्पतियों एवं सुवधाओं का इष्टतम एवं कार्यकुशल तथा औचत्यपरक उपयोगत;
- वत्तीय संसाधनों सहित प्रतिस्पर्द्धात्मक शक्तियों का संवर्धन;
- सहक्रया के लाभों की प्राप्ति;
- बेहतर प्रबंधन तथा व्यवसाय वकास की ओर ध्यान केन्द्रण;
- ऊपरी खर्चों, प्रशासनिक, प्रबंधकीय एवं अन्य व्ययों में कमी लाया जाना;
- शेयरहोल्डिंग संरचना को सरल बनाना तथा शेयरहोल्डिंग टायर्स को न्यून करना।

*सदस्यों से यह अनुरोध है क वे इसके साथ संलग्न योजना के पूरे सार को अच्छी तरह से पढ़ लें जिससे उन्हें इसके प्रावधानों की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। ऊपर जो बताया गया है वे उक्त योजना की संक्षप्त वशेषताएं हैं।*

- v. प्रस्तावत योजना का लेखांकन उपचार अधनियम के खंड 133 में निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुरूप है। सांवधक लेखापरीक्षकों द्वारा अंतरक कंपनी तथा अंतरिती कंपनी के संबंध में जारी जारी प्रमाण पत्र जांच के लए उपलब्ध है।
- vi. अधनियम के प्रावधान 232(2)(ग) के प्रावधानों के अनुसरण में पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड (अंतरक कंपनी) तथा पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी) द्वारा अपेक्षत रिपोर्ट रिपोर्ट को अंगीकार कर लया गया है तथा यह अनुलग्नक -2 एवं अनुलग्नक-3 पर क्रमशः संलग्न की गई है।
- vii. अधनियम के अध्याय XIV के खंड 210 से 229 के अंतर्गत अथवा 1956 के अधनियम के अनुवर्ती प्रावधानों के अंतर्गत कम्पनियों से सम्बद्ध कोई जांच प्रक्रया प्रारम्भ नहीं की गई है। इसके इसके अलावा, अधनियम के अंतर्गत अथवा 1956 के अधनियम के अनुवर्ती प्रावधानों के अंतर्गत कम्पनियों के प्रति कोई प्रक्रया लम्बित नहीं है।

- viii. कम्पनियों की जानकारी के अनुसार उनके प्रति अधिनियम के अंतर्गत अथवा 1956 के अधिनियम के अनुवर्ती प्रावधानों के अंतर्गत कसी प्रकार की वाइडिंग अप प्रक्रिया फाइल नहीं की गई है है अथवा लम्बित नहीं है।
- ix. 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड (अंतरक कंपनी) का लेखा परीक्षित तुलन पत्र अनुलग्नक-4 में संलग्न हैं तथा 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी) का लेखा परीक्षित तुलन पत्र वत्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।
- x. पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड (अंतरक कंपनी) तथा पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी) की लेखा बहियों के अनुसार (9.5.2018 की स्थिति) अप्रतिभूतित क्रेडिटर्स को देय राश क्रमशः 205.28 करोड़ रूपए तथा 2,06,573 करोड़ रूपए है।
- xi. पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड (अंतरक कंपनी) तथा पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी) की लेखा बहियों के अनुसार (9.5.2018 की स्थिति) प्रतिभूतित क्रेडिटर्स को देय राश क्रमशः शून्य तथा 20,407.12 करोड़ रूपए है।
- xii. अंतरक कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी(4.5.2018 की स्थिति) 300 करोड़ है जिसमें 10 रूपए मूल्य प्रत्येक के 10 करोड़ इक्विटी शेयर तथा 10 रूपए मूल्य प्रत्येक के 20 करोड़ पूर्णतः परिवर्तनीय अधमान शेयर हैं। पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड (अंतरक कंपनी) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी) के पूर्ण स्वामत्व वाली कंपनी है तथा अंतरिती कंपनी की की सम्पूर्ण शेयरधारिता का धारण प्रत्यक्ष अथवा इसके नामतों के माध्यम से अंतरक कंपनी के नाम पर किया गया है।
- xiii. अंतरिती कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी (4.5.2018 की स्थिति) 10 रूपए मूल्य प्रत्येक के 2640,08,14,080 इक्विटी शेयर है जिसमें से अंतरिती कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी के 65.91% मूल्य के 174,02,16,107 शेयरों का धारण भारत के राष्ट्रपति के पास है।
- xiv. अंतरक कंपनी के निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधन कर्मकों का ववरण (20.7.2018 की स्थिति) निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधन कर्मक का नाम	पता	इक्विटी शेयरों की कुल संख्या	शेयरों की कुल सं. का %
1.	श्री राजीव शर्मा	क्यू-8, हौज खास एंक्लेव, नई दिल्ली ।	शून्य	लागू नहीं
2.	श्री चन्मय गंगोपाध्याय	12, मेघा अपार्टमेंट, मयूर वहार, फेस-1 एक्सटेंशन, दिल्ली -110091.	100	0
3.	श्री नवीन भूषण गुप्ता	110, मधुर जीवन अपार्टमेंट, प्लाट नम्बर 34, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली -110075.	शून्य	लागू नहीं
4.	श्रीमती रचना सिंह	बी-1004 एकजोटिका एलीगेंस, अहिंसा खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद 201010	NIL	N.A.

- xv. अंतरक कंपनी के निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधन कर्मकों का ववरण (20.7.2018 की स्थिति) निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधन कर्मक का नाम	पता	इक्विटी शेयरों की कुल संख्या	शेयरों की कुल सं. का %
1.	श्री राजीव शर्मा	क्यू-8, हौज खास एंक्लेव, नई दिल्ली ।	32574	0
2.	श्री चन्मय गंगोपाध्याय	12, मेघा अपार्टमेंट, मयूर वहार, फेस-1 एक्सटेंशन, दिल्ली -110091.	21488	0
3.	श्री नवीन भूषण गुप्ता	110, मधुर जीवन अपार्टमेंट, प्लाट नम्बर 34, सेक्टर-10, द्वारका, नई	24584	0

		दिल्ली -110075.		
4.	श्री अरूण कुमार वर्मा	ई-203, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली -110002	शून्य	लागू नहीं
5.	श्री सीताराम पारिक	501, सत्यप्रसाद सीएचएसएल, दीक्षत दीक्षत क्रॉस रोड नं. 1, वले पार्ले (पूर्व), मुम्बई ।	शून्य	लागू नहीं
6.	श्रीमती गौरी चौधरी	1/62 डावर प्लेस, बालीगंज, सर्कस एवेन्यू, कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700019	शून्य	लागू नहीं
7.	श्री मनोहर बालवाणी	फ्लैट नं.- 20, पॉकेट-डी, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली - 110085	शून्य	लागू नहीं

xvi. अंतरक कंपनी अंतरिती कंपनी के पूर्ण स्वामत्व वाली सहायक कंपनी है, अतः समामेलन के वचार से अंतरिती कंपनी द्वारा अपने कोई शेयर जारी नहीं कर जाएंगे तथा इससे अंतरिती कंपनी की शेयरधारिता के पैटर्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

xvii. जांच दस्तावेज

निम्नलखत दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम सभा के आयोजन से पूर्व प्रत्येक कार्य दिवस में (शनिवार तथा रववार के अलावा) प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक जांच के लए उपलब्ध हैं:-

- अंतरक कंपनी तथा अंतरिती कंपनी के संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद की प्रतियां;
- 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लए अंतरक कंपनी तथा अंतरिती कंपनी की वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियां;
- अंतरक कंपनी तथा अंतरिती कंपनी के निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर;
- अंतरक कंपनी तथा अंतरिती कंपनी के सांवधक लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुरूप योजना की पुष्टि के लए जारी क्रमशः दिनांक 18.6.2018 एवं 19.6.2018 के प्रमाण पत्र;
- अंतरक कंपनी तथा अंतरिती कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा योजना के अनुमोदन के लए पारित संकल्प की क्रमशः दिनांक 25.08.2017 तथा 29.09.2017 की प्रतियां।

इसके अलावा, निदेशक मंडल द्वारा इस नोटिस के क्रम संख्या 7 पर उल्लिखत संकल्प के प्रति वशेष संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कर्मक अथवा उनके कसी सम्बद्ध का, वत्तीय अथवा अन्यथा, इस संकल्प के पारित होने के प्रति कोई सरोकार अथवा हित, कंपनी में उनकी शेयरधारिता के परिमाण के अलावा, नहीं है।

मद संख्या 3 तथा 5 के अंतर्गत 32वीं वर्षक आम सभा में नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले निदेशकों का ववरण

नाम	श्री चन्मय गंगोपाध्याय	श्रीमती गौरी चौधरी
जन्म तिथि तथा आयु	03.04.1959/59	19.02.1942/76
अर्हता	आईआईटी खडगपुर से इलैक्ट्रानिक इंजीनियरिंग में स्नातक तथा एफएमएस, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए	अंग्रेजी वषय में स्नातकोत्तर डग्री
नियुक्ति की तिथि	1.1.2017	3.11.2017
नियुक्ति के नियम तथा शर्तें	भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से 5 वर्ष की अवध के लए 1 जनवरी, 2017 से सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक (परियोजना) के पद पर नियुक्ति।	भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से 3 वर्ष की अवध के लए, नियुक्ति की अधसूचना की तिथि से आगामी आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्ति
पारिश्रमक	भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से नियुक्ति की शर्तों के अनुसार	शून्य
कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव	उन्हें ऊर्जा सेक्टर में 37 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव है, उन्होंने एनटीपीसी, पीएफसी (पीएफसीसीएल सहित) जैसे संगठनों में कार्य किया है। पीएफसी में वे 29 से भी अधिक वर्षों से कार्यरत हैं तथा उन्होंने अनेक परियोजना मूल्यांकन, यूएमपीपी एवं आईटीपी, इक्विटी एवं वत्तीय उत्पाद तथा ऊर्जा सेक्टर के लए परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं। उन्होंने पीएफसी की पूर्ण स्वामत्त्व वाली सहकारी कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग लमटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर भी कार्य किया है।	वे अंग्रेजी भाषा में स्नातकोत्तर डग्री तथा संगीत प्रभाकर (सतार) हैं। वे सामाजिक कार्यकता हैं तथा वे टेलीफोन परामर्शी बोर्ड (टीएसी) की सदस्य एवं फिल्म सेंसर बोर्ड की सदस्य रही हैं।
वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकें की संख्या तथा निदेशक मंडल की कतनी बैठकों में भाग लिया गया।	12/12	6/6
कंपनी के कसी अन्य निदेशक, प्रबंधक तथा तथा अन्य प्रमुख प्रबंधन कार्मक से संबंध	शून्य	शून्य
कंपनी के धारित शेयरों की संख्या	21488	शून्य
अन्य कम्पनियों में निदेशक पद का धारण	<ul style="list-style-type: none"> <li>पीएफसी कंसल्टिंग लमटेड- निदेशक</li> <li>उड़ीसा इन्टीग्रेटेड पावर लमटेड - अध्यक्ष</li> <li>छत्तीसगढ़ सुरगुजा पावर लमटेड -अध्यक्ष</li> <li>तात्या आंध्रा मेगा पावर लमटेड - अध्यक्ष</li> <li>पावर इक्विटी कैपटल एडवाइजर्स प्रा.ल.- निदेशक</li> <li>पीएफसी कैपटल एडवाइजरी सर्वसज लमटेड - अपर निदेशक</li> <li>पीएफसी इंडया लमटेड- निदेशक</li> <li>पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड - अपर निदेशक</li> <li>पीटीसी इंडया फाइनेंशियल सर्वसेज लमटेड - निदेशक</li> </ul>	शून्य
सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कम्पनियों की समितियों* में अध्यक्ष /सदस्यता	<ul style="list-style-type: none"> <li>पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड - सदस्य, ऑडट कमेटी एंड स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशप रिलेशनशप एंड शेयरहोल्डर इन्वेस्टर ग्रवर्येस कमेटी</li> <li>पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड- सदस्य, लेखा परीक्षणसमिति</li> </ul>	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड - सदस्य, ऑडट कमेटी एंड एंड स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशप एंड शेयरहोल्डर इन्वेस्टर ग्रवर्येस कमेटी

\* इसमें ऑडट कमेटी एंड शेयरहोल्डर ग्रवर्येस कमेटी के अलावा निदेशक मंडल की अध्यक्षता / सदस्यता शामिल नहीं है।



पावर फाइनेंस कारपोरेशन ल मटेड

सीआईएन: एल 65910डीएल 1986 जीओआई 024862

ऊर्जा नि ध, 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली - 110001, भारत

टेलीफोन:- +91 11 23456000, फैक्स: +91 11 23412545, ईमेल: [investorsgrievance@pfcindia.com](mailto:investorsgrievance@pfcindia.com)

वेबसाइट: [www.pfcindia.com](http://www.pfcindia.com)

उपस्थिति स्लिप

कृपया इस उपस्थिति स्लिप को बैठक हाल में अपने साथ लाएं तथा इसे प्रवेश द्वार पर सौंप दें।

मैं/हम, मंगलवार, दिनांक 11 सितम्बर, 2018 को प्रातः 10.30 बजे तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली 110004 में आयोजित की जा रही कंपनी की 32वीं वार्षिक आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ/करते हैं।

क्रमांक : \_\_\_\_\_

एकल प्रथम नाम सदस्य का नाम तथा पंजीकृत पता :

संयुक्त सदस्य(सदस्यों) के नाम, यदि कोई हों :

पंजीकृत फो लयो सं. डीपी आईडी क्लाइंट आईडी :

धारित शेयरों की संख्या :

प्रॉक्सी / प्रतिनिध का नाम :

सदस्य / प्रॉक्सी / प्राधकृत प्रतिनिध के हस्ताक्षर

धारक का नाम	फो लयो सं. डीपी आईडी क्लाइंट आईडी सं.	शेयरों की संख्या

सदस्यों की जानकारी के लए

सदस्य कृपया यह नोट करें क कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 108 के अनुसरण में ई-वोटिंग के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ववरण नीचे दिया जा रहा है। ई-वोटिंग के लए वस्तुतः निदेश वार्षिक आम सभा के नोटिस में दिए गए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ववरण

ईवीईएन (ई-वोटिंग इवेंट नम्बर)	यूजर आईडी	पासवर्ड / पन

नोट : कृपया नोटिस में दिए गए ई-वोटिंग निदेशों का अनुसरण करें।



पावर फाइनेंस कारपोरेशन ल मटेड

सीआईएन: एल 65910डीएल 1986 जीओआई 024862

ऊर्जा निध, 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली - 110001, भारत

टेलीफोन:- +91 11 23456000, फैक्स: +91 11 23412545, ईमेल: [investorsgrievance@pfcindia.com](mailto:investorsgrievance@pfcindia.com)

वेबसाइट: www.pfcindia.com

प्रॉक्सी फार्म

(कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 105(6) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

में हूँ

1. नाम: \_\_\_\_\_ ईमेल आईडी: \_\_\_\_\_

पता: \_\_\_\_\_ हस्ताक्षर:  आने पर

2. नाम: \_\_\_\_\_ ईमेल आईडी: \_\_\_\_\_

पता: \_\_\_\_\_ हस्ताक्षर:  आने पर

3. नाम: \_\_\_\_\_ ईमेल आईडी: \_\_\_\_\_

पता: \_\_\_\_\_ हस्ताक्षर:

मेरी / हमारी प्रॉक्सी के तौर पर कंपनी की मंगलवार, दिनांक 11 सितम्बर, 2018 को प्रातः 10.30 बजे, तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, दिल्ली 110004 में आयोजित की जा रही 32वीं वार्षिक आम सभा में मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होने तथा वोट (वोटिंग में) तथा नीचे उल्लिखित संकल्पों से संबंधित स्थगन के लिए प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं:

क्र.सं.	संकल्प	For (पक्ष में)	Against (वरोध में)
साधारण संव्यवहार			
1.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय ववरणों सहित समेकित वित्तीय ववरणों तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करने, वचार करने तथा उसे अंगीकार करने के लिए।		
2.	वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतरिम लाभांश की पुष्टि कुल लाभांश में करने के लिए।		
3.	रोटेशन में सेवानिवृत्त हो रहे तथा पुनर्नियुक्ति के पात्र एवं पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले श्री चन्मय गंगोपाध्याय (डीआईएन:02271398) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।		
4.	सां व धक लेखा परीक्षकों के लिए पारिश्रमिक का निर्धारण करना।		
वशेष संव्यवहार			
5.	श्रीमती गौरी चौधरी, 76 वर्षीया, (डीआईएन: 07970522) को कंपनी का निदेशक नियुक्त करना		
6.	निजी प्लेसमेंट आधार पर बांड/डब्ल्यूएचएल/सक्योरिटीज जारी करके ₹65,000 करोड़ की निधियों की उत्पत्ति करना।		
7.	पीएफसी ग्रीन एनर्जी ल मटेड (अंतरक कंपनी) का समामेलन पावर फाइनेंस कारपोरेशन ल मटेड (अंतरिती कंपनी) तथा उनके शेयरधारकों एवं क्रेडिटर्स के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 230-232 के अंतर्गत, जो कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 13 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 582 (ई) तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के साथ पढ़ी जानी है, कए जाने की व्यवस्था योजना को अनुमोदन देना।		

दिनांक-----माह-----, 2018 को हस्ताक्षरित

शेयरहोल्डर के हस्ताक्षर

रक, धारकों के हस्ताक्षर

नोट:

1. इस प्रॉक्सी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए इसे व धवत भरकर तथा मोहर लगाकर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम सभा के आयोजन से कम से कम 48 घंटे जमा करवाया जाना चाहिए।
2. आम सभाओं के सा च वक मानक -2 के उपवाक्य 6.4.1 के अनुसार प्रॉक्सी धारक को बैठक में भाग लेते समय अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी।

तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली 1100014 का रूट मैप

